

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, कमरा नं० 316, स्वास्थ्य भवन,
तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।

क्रमांक : डीसी/डी-4/एमएस-339/2018/ 02

दिनांक : 08/01/2018

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।


अलर्ट नोटिस

विषय:- गम्भीर रूप से घोषित अवमानक औषधि के सम्बन्ध में अलर्ट नोटिस।

राजकीय विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर (राज०) ने निम्नांकित टेस्ट रिपोर्ट जारी कर निम्न औषधि को उसके सम्मुख अंकित कारण से अवमानक कोटि का घोषित किया है:-

S. No.	Name of Drugs/ Batch No.	T/R No. & Date	Manufactured by	Reason
1-	Calcium With Vitamin D3 And Vitamin B12 Suspension (HICAL-12), B.No. LC16008AL	1840/2017-2018/ DTL/2017 date 19-12-2017	M/s Hindustan Laboratories, Plot No: 5-9, Survey No. 38/2, Aliyali, Palghar (W) Dist- Palghar	The sample does not conform to the claim with respect to Assay of Elemental Calcium and Cholecalciferol (Vit. D3) (Nil) Assay- Elemental Calcium Claim - 82.00 mg, Found_ 115.34 mg (i.e. 140.66% of Claim) Assay- Cholecalciferol (Vit. D3) Claim -200.00 IU Found- Nil

अतः आप पूरे राज्य में अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी/सतर्कता बरतते हुये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करें तथा उक्त निर्माता की अन्य औषधियों के नमूने भी नियमानुसार जांच हेतु लें।



(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक,
राज०, जयपुर

क्रमांक : डीसी/डी-4/एमएस-339/2018/ 02

दिनांक : 08/01/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. औषधि महानियंत्रक (भारत), एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. उप औषधि नियंत्रक(भारत), सी०डी०एस०सी०ओ० (नार्थ जोन), कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद।
3. प्रबन्ध निदेशक, आर०एम०एस०सी०एल०, मुख्यालय।
4. निर्जी सचिव, मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, राज० जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प०क०/आईईसी/एडस/एम०एस०यू०/ई०एस०आई०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज० जयपुर।
6. आयुक्त (एफ.डी.ए.), 341 बान्द्रा कुर्ला काम्पलेक्स, आर बी आई बिल्डिंग के सामने, बान्द्रा (ई) मुम्बई-400051।
7. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज० जयपुर।
8. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. सहायक निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सभी अधिकारियों को आदेश की प्रति e-mail से भी भिजवावें तथा Drugs Control की विभागीय Website पर upload करने का श्रम करें।
13. रक्षित पत्रावली/संबंधित पत्रावली।


(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक,
राज०, जयपुर